Shri S. S. Kothari: I have a point of order. You do not allow us to raise it; even according to the rules we can raise it.

Mr. Deputy-Speaker: Is it a point of order regarding the half-an-hour discussion?

Shri S. S. Kothari: It is about the Calling Attention motion.

Mr. Deputy-Speaker: I have disposed of it. That is not before the House. The time is past.

Shri S. S. Kothari: You must give everybody a chance. I am sorry you are curtailing the rights of the Members of the House, which is not fair.

Several hon. Members *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I have said I would convey the feelings of the Members to the Speaker. That is all. That is my ruling. Beyond that, I have not the capacity to do anything. Shri Fernandes.

Shri Amrit Nahata (Barmer): Is it permissible....

Mr. Deputy-Speaker: Please resume your seat. We are starting the half-an-hour discussion. No point of order. (*Interruption*). Let there be quiet.

17.45 hrs.

WEALTH OF PERSONS HOLDING PUBLIC OFFICES*

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई–दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, 31 मई को इस सदन में श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये एक प्रश्न पर अपना निर्देश देते हुए अध्यक्ष महोदय ने 1951 के एक फैसले का जिक्र किया था जो श्री मुदगल के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में था। मैं यद्यपि उस निर्णय पर नहीं बोल रहा हूं लेकिन 1951 के उस किस्से को याद आज इस सदन को दिलाना चाहता हूं। मुदगल साहब उन दिनों कांस्टीचूएन्ट असेम्बली के एक सदस्य थे, उन पर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था, जिस को लेकर एक विशेषाधिकार समिति नियुक्त की गई थी। जब वह मामला विशेषाधिकार समिति के सामने आया, तो उसने उस पर काफ़ी विचार कर के, उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला दिया कि मुदगल साहब ने . . . .

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, what has happened to the call attention? Will you take it up tomorrow?

Mr. Deputy-Speaker: Please sit down.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उस समिति ने अपने निर्णय में ऐसा कहा कि मुदगल साहब ने अपनी सदस्यता का दुरुपयोग किया था और बम्बई बुलियन एसोशियेशन की ओर से सदन के अन्दर वह अपना काम चलाया करते थे। उस समिति के नतीजे के तौर पर वह भ्रष्टाचार सिद्ध होने में आया और शायद हिन्दुस्तान में इस सदन के इतिहास में पहली और आखरी बार एक सदस्य को अपनी सदस्यता से हटा देने का फैसला उस समिति ने लिया। वह फसला अमल में लाने से पहले ही वह साहब अपनी जगह से इस्तीफ़ा दे कर चले गये और हो सकता है कि अपनी इज्जत न बचा पाये हों, लेकिन जान बचाने का काम उन्होंने जरूर किया।

उपाध्यक्ष महोदय, उस 1951 से लेकर आज तक इस सदन में और इस मुल्क के अन्य जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर जो भ्रष्टाचार चलता है और खास तौर पर अधिकार में रहे हुए लोगों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, उस में कोई कमी तो नहीं हुई है, असल में वे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुदगल साहब के मामले से लेकर मूंदड़ा साहब के मामले तक, बल्कि इनके दरमियान अलग अलग सूबों के मुख्य मंत्रियों

---

*Half-An-Hour Discussion.

से लेकर इसी सदन के पचास सदस्य बिरला सेठ की जेब में हैं, इस किस्म का ग्रारोप भूतपूर्व गृह मंत्री तथा कई सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों पर लगाने में ग्राया हैं। कुछ ग्रारोपों को इनमें से सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ज्यादातर इन ग्रारोपों को सिद्ध करने के लिये या इनकी जांच करने के लिये, जिनके ऊपर ये ग्रारोप लगाये जाते हैं, उन लोगों ने कभी ग्रपनी तैयारी नहीं बताई। ग्राज ही इस सदन में देखिये कि जब श्री ग्रर्जुन ग्ररोड़ा की ग्रोर से काबीना के दो मंत्रियों के ऊपर लगाये हुए ग्रारोपों के बारे में जांच किये जाने ग्रौर ग्रगर जांच नहीं हो सकती हो तो जिन्होंने ग्रारोप लगाया हैं उनके बारे में विशेशाधिकार का प्रश्न उठाया जाय तो ग्राप ने देखा कि राज्य चलाने वाली पार्टी ने ग्रपने बहुमत के ग्राधार पर इस प्रयत्न को कैसे खत्म करने का काम यहां पर कर लिया ?

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का ग्रौर खास तौर पर सार्वजनिक जगहों पर जो भ्रष्टाचार का मामला हैं उसको बहुत ही गम्भीर तौर पर देखने की ग्रावश्यकता इस सदन को महसूस करनी चाहिये। सन 1962 में संतानम कमेटी बनने में ग्रा गई थी। इन मसलों पर इस सदन के ग्रन्दर ग्रौर इस सदन के बाहर हुई बहस को मद्देनजर रख कर उस समिति ने ग्रपनी रपट को पेश किया। जब गये महीने में इस सदन में यह प्रश्न उठा ग्रौर सार्वजनिक जगहों पर रहे हुए लोगों की सम्पत्ति के बारे में जांच करने वाला तब इस समिति का जिक्र करते हुए गृह मंत्री जी ने यह कहा कि समिति के कुछ निर्णयों को ग्रमल में लाने का काम हम ने किया है तमाम निर्णयों को हम ग्रमल में नहीं लाये हैं लेकिन मन से निर्णयों को ग्रमल में लाने का काम हुग्रा है।

एक चीज जिसका कि बहुत बड़े पैमाने पर जिक्र करने में ग्रा जाता है वह है मंत्रियों की बनी हुई कोई एक ग्राचार संहिता है। उस ग्राचार संहिता को हम ने देखा। उस ग्राचार संहिता के बारे में जिक्र यहां पर कई बार होता है। मगर उपाध्यक्ष महोदय, उस ग्राचार संहिता में क्या लिखा है ? उस में लिखा हुग्रा है कि ग्रगर किसी केन्द्रीय मंत्री के बारे में शिकायत हो तो उसकी जांच की जिम्मेदारी प्रधान मंत्री पर होती है ग्रौर ग्रगर राज्य के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के खिलाफ़ शिकायत हो तो उसकी जांच की जिम्मेदारी उस राज्य के मुख्य मंत्री के ऊपर ग्राती है लेकिन जो मुख्य मंत्री स्वयं भ्रष्ट हैं उनके विरुद्ध ग्रारोपों की जांच कौन करेगा ? मंत्रियों के बारे में हमेशा जांच करने का ग्रौर उनके ऊपर नजर रखने का प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है कि जो ग्रारोप लगाये जाते हैं ग्रौर जो शक उठाने में ग्रा जाते हैं वह कोई हमेशा मंत्रियों के ही बारे में नहीं होते हैं। ग्रभी गत कई दिनों से इस सदन में प्रधान मंत्री के बारे में कई बातें कहने में ग्रा गयीं। वह भ्रष्टाचार की नहीं होंगी या भ्रष्टाचार की भी हो सकती हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी ने भी ग्रपने पद का ग्रपनी जगह का ऐसे ढंग से इस्तेमाल किया है ग्रौर ग्रपने को मिली हुई कई चीजों के बारे में ऐसा रवय्या ग्रखित्यार किया है कि उन पर भी ग्रारोप लगने में ग्रा गये। ग्रब जब यहां केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री के ऊपर ग्रारोप लगे हैं तो फिर सूबों के मुख्य मंत्रियों के बारे में क्या कहना ? ग्राप को इत्तिला है कि ग्रलग ग्रलग सूबों के जो मुख्य मंत्री रहे उन की क्या हालत रही ? श्री बीजू पटनायक के ऊपर भ्रष्टाचार करने के ग्रारोप से शुरू हुग्रा, सुखाड़िया साहब के ऊपर ग्रारोप ग्राया ग्रौर श्री प्रताप सिंह कैरों के ऊपर भी ग्रारोप ग्राये। करीब करीब हर एक सूबे के प्रधान मंत्री के ऊपर ग्रारोप लगाये गये ग्रौर ग्राम तौर पर इन ग्रारोपों के बारे में कभी जांच करने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। मैं ग्राप को याद दिलाऊं कि मैसूर के मुख्य मंत्री श्री निजलिंगप्पा के बारे में वहां की विधान सभा के 28 सदस्यों ने सही कर के

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

अपना दस्तावेज आरोपपत्र राष्ट्रपति के पास भेजा था। जब इस प्रश्न को गये महीने में यहां संसद् में उठाया गया तो गृह मंत्री जी ने जवाब दिया कि उन्हें उस की जांच करनी पड़ेगी। अब पता नहीं उस वक्त क्या क्या बातें हुई थीं लेकिन यह हकीकत है कि संतानम कमेटी ने यह कहा था कि अगर विधान सभा के या लोक सभा के दस सदस्य किसी भी मंत्री के बारे में या अधिकार की जगह पर रहे हुए किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई शिकायत पत्र पेश करें तो उस पर जांच होनी चाहिए लेकिन यह जो श्री निजलिंगप्पा का मामला है इस पर तो वहां की विधान सभा के २८ सदस्यों के दस्तखत हैं लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि यह जो मंत्रियों के लिए आचार संहिता बतलाने में आई है जिसकी कि देखरेख करना और जिस को अमल में लाने की जिम्मेदारी प्रधान मंत्री या राज्यों के मुख्य मंत्रियों पर देखने में आई है यह बिल्कुल एक बमतलब चीज है और इस मे कोई भी काम जहां तक कि मंत्रियों के भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है वह नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं तो इस सदन से यह अर्ज करना चाहूंगा कि संतानम कमेटी की जो सिफारिशें है, जिन सिफारिशों में एक नेशनल पैनेल बनाने का सुझाव है, जिस पैनेल के सामने, जिस पैनेल के व्यक्तियों के सामने किसी भी मंत्री के या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी व्यक्ति पर किये हुए आरोपों को पेश करना चाहिए। यह जो सिफारिश है इस सिफारिश को सरकार को तत्काल मान लेना चाहिए और उस को मान लेने में सरकार की कहीं भी कोई बेइज्जती होने का सवाल नहीं होगा। यह कहना जैसा कि शर्मा जी ने इस वक्त यहां पर प्रश्न उठा कर कहा कि इस तरह से कोई किसी पर आरोप लगाता है और उस पर जांच करने के लिए उस की खोज करने के लिए आप बैठ जायें तो लोकशाही और प्रजातन्त्र खतरे में आ जायेगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कहने वालों को प्रजातन्त्र और लोकशाही का अर्थ समझ में नहीं आता है। प्रजातन्त्र और लोकतन्त्रशाही वहीं मजबूत बन सकती है जहां जीवन में हर किस्म की ईमानदारी रक्खी जाय, हर तरीके से आदमी अपने मन और अपने हिसाब किताब को बिल्कुल साफ तरीके से लोगों के सामने रखने का काम कर सके। इसलिए लोकशाही और प्रजातन्त्र को ही मजबूत करने के लिए इस मुल्क में यह बहुत ही आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो और उस दृष्टि से एक तो यह संतानम कमेटी वाली पूरी रपट को अमल में लाना चाहिए दूसरे जिन लोगों के बारे में आज तक यह शिकायतें आई हैं, वह कितने ही बड़े मुख्य मंत्री हों, या और कोई भी बड़े लोग हों, उन आरोपों को सार्वजनिक ढंग से इस समिति के द्वारा जांच करने का काम इस सरकार को कराना चाहिए। उस बारे में गृह मंत्री साहब आज यहां पर बिल्कुल एक खुलासा करें और ऐसा फैसला लें यही मुझे इस समय अर्ज करना है।

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे यह देख कर बड़ी हैरत होती है कि एक तरफ तो समाजवाद चल रहा है अपने मुल्क में और दूसरी तरफ मंत्रियों की सम्पत्ति बढ़ती चली जा रही है। व्यापारियों की बढ़े तो बढ़े लेकिन मंत्रियों की सम्पत्ति बढ़ती है। इस का यह लोग शायद जवाबी तौर पर यह कह देंगे कि जो गैर मंत्री हैं, विरोधी पक्ष के लोग हैं उन की भी सम्पत्ति बढ़ती है तो पहले तो यह झूठ है और अगर मान भी लिया जाय कि वह भी बेईमान हैं तो यह कोई जवाब तो नहीं होता है। इस वक्त वाली सवाल यह है कि जो सरकारी गद्दी पर बैठे हुए हैं क्या वह राज्यदंड और राज्य शक्ति का दुरुपयोग करके अपनी सम्पत्ति बढ़ाते हैं या नहीं? यह एक विस्मय की चीज

है कि यह जितना काबीना है उस में हर एक मंत्री की सम्पत्ति बढ़ी है। अभी तक मुझे काबीना का एक सदस्य भी ऐसा नहीं मालूम हो सका है कि जिस की सम्पत्ति न बढ़ी हो और जिस का खर्चा न बढ़ा हो। इस स्थिति में मैं एक खाली प्रश्न पूछता हूं कि एक स्थायी आयोग आयोग क्यों नहीं बना दिया जाता जिस तरीके से कि सरकारी नौकरों के लिए एक स्थायी आयोग बना हुआ है या और कई कामों के लिए स्थायी आयोग है? इसलिये एक तो स्थायी आयोग बना दिया जाय जो उन सभी सरकारी बड़े बड़े अफसरों से यह जांच का काम शुरू करे। यह नहीं कि बेचारे किसी चपड़ासी से शुरू कर दें, बड़ों की जांच से वह शुरू करे। बड़े बड़े सरकारी अफसरों और लोगों के पास स्वराज्य के वर्ष से ले कर अब तक जितनी सम्पत्ति है इकट्ठी हुई है उस की जांच की जाय और जितनी सम्पत्ति अनुचित उन के पास समझी जाय उस का जब्ती की जाय। अगर ऐसा एक स्थायी आयोग बना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि विश्वास की इतनी जबरदस्त लहर फैल जायगी देश के अन्दर कि शायद उस से हम लोगों में एक नया उजाला आ जायगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जैसा अभी अपने भाषण के दौरान मेरे मित्र श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कहा है कि चाहे वह मुख्य मंत्री हो या और कोई भी कितना ही बड़ा अधिकारी हो अगर उस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हो तो उस की जांच संतानम समिति के अनुसार करानी चाहिए। अब यहां पर आप ने देखा होगा कि काफ़ी दिन से सत्यनारायण और पंत जी की कथा चल रही है........

Mr. Deputy-Speaker: Please come to the question.

Shri S. M. Banerjee: I am coming to it.

क्या यह बात सच है जैसा कि हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री नन्दा जी ने कहा था कि करीब 50 लोक सभा के ऐसे सदस्य हैं जिन्हें तनख्वाह या और ऐसी चीजें बिड़ला परिवार से हासिल होती हैं? दूसरे में गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी प्रधान मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि तीन मिनिस्टरों की कोई एक कमेटी बनाई थी जिसने कि जांच की है और उस से पता चला है कि श्री सत्य नारायण सिंह या पंत जी का कोई अपराध नहीं है। क्या यह सच है कि श्री अर्जुन अरोड़ा से स्पेसिफाई करने के लिये कहा गया था? जो चार्जेज उन्होंने दिये थे उन को उन्होंने स्पेसिफाई किया और उन के बारे में 9 पेज लिख कर दिये लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया कि वह मंत्रियों के सम्बन्ध में कुछ कर सकें। मैं इस का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

18 hrs.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया गया। छः दिन पहले ऐन्टी करप्शन लाज ऐक्ट पास किया गया। उस से पहले प्रिवेंशन आफ करप्शन ऐक्ट एग्जिस्टेंस में था। शायद ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन भी अपनी रिपोर्ट देने वाला है। इन के जरिये जो वेल्थ इकट्ठी है उस को हम वीड आउट करना चाहते हैं।

मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो प्रिवेंशन आफ करप्शन ऐक्ट का सेक्शन 5 है जिसमें प्रिजम्शन है, रिबटेबल प्रिजम्शन है, उस के मातहत क्या अख्त्यार दिये जायेंगे कि जिस शख्स की काफी आमदनी है, जिस की वेल्थ उस की नोन इनकम से डिस्प्रपोर्शनेट है, उस को ऐबालिश किया जाये। इस के लिये क्या आप कानून बनायेंगे ताकि आज देश में जो करप्शन का बोलबाला है वह खत्म हो। दूसरी बात यह कि जो ऐक्ट अब बनने वाला है ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन की सिफारिश पर उस की तहत भी क्या यह सोचा जा रहा है कि कोई सीलिंग मुकर्रर की जाये, जैसा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है। तीसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से जमीन के ऊपर सीलिंग है उसी तरह से जो बड़ी बड़ी आमदनी वाले हैं जो कि अपनी

[श्री रणधीर सिंह]

आमदनी के जरिये या बेईमानी से रुपया इकट्ठा कर लेते हैं उन के ऊपर भी कोई सीलिंग कायम करने की बात सोची जा रही है ताकि कांग्रेस ने जो रेजेल्यूशन पास कर दिया है उस को अमली जामा पहनाया जा सके ?

Mr. Deputy-Speaker: The Home Minister.

Shri K. Lakkappa (Tumkur): Sir, my name is also there in the list.

Mr. Deputy-Speaker: You have not given me notice.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अगर कार्य-सूची में नाम है तो क्यों सवाल नहीं पूछेंगे माननीय सदस्य ?

Shri Ranga (Srikakulam): If it is on the Order Paper, no notice need be given.

Mr. Deputy-Speaker: According to the rules, only those who give notice can ask a question. I am **within the** rules.

Shri K. Lakkappa: No, Sir. Notice has been given by me that I want to raise a half-an-hour discussion.

Mr. Deputy-Speaker: Every Member who has supported the motion will not get a chance automatically.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन करने वालों का नाम कभी नहीं आता है लेकिन जो नोटिस देते हैं उनका नाम आता है ।

Shri K. Lakkappa: I have given notice to raise a discussion. A charge sheet was submitted against Shri Nijlingappa. Letters were sent and answer was given by the Home Minister.

Mr. Deputy-Speaker: There is a notice from him. He may ask a question.

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): On a point of order, Sir. He has brought in the name of Shri Nijlingappa who is not here to defend himself.

Shri K. Lakkappa: The Home Minister has replied that on a specific allegation if a *prima facie* case is made out, action will be taken and an inquiry will be made. This is the answer given by the Home Minister on the 24th May to Starred Question No. 34. Paragraphs 102 and 103 of the Santhanam Committee Report have enunciated the principles for taking action in case of allegations against Ministers for appointing a national committee consisting of three members of high integrity which should probe deep into the charge against a minister. Now, I have got the charge sheet here and it is a public document. I insist upon producing it here.

Mr. Deputy-Speaker: Please ask a question.

Shri K. Lakkappa: Let me complete my sentence.

Sixteen serious charges have been levelled against him and these have been mentioned in the memorandum, in the chargesheet, and there is a ruling of the Speaker in the Orissa Assembly....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Please resume your seat now. Otherwise, the Minister will have no time to reply and I will adjourn the House

Shri K. Lakkappa: These are the charges made and it is reported in *Hindustan Times* dated 11th October, 1966. The Speaker of the Orissa Assembly accepted the contention of the leader of the Opposition and referred the matter to an inquiry committee. It is a public document. Taking into consideration all this, action may be taken and a probe may be held into all these charges.

Mr. Deputy-Speaker: That is all. If the Home Minister does not get time to reply to this discussion I will have to adjourn the House. Let him reply Now,

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the major point that was made by Mr. Fernandes, arising out of the discussion on the Starred Question the other day, is that what we are doing about the recommendations of the Santhnam Committee about the charges against people holding public offices, including Ministers . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है । क्या कोई माननीय सदस्य किसी अन्य सदस्य का पल्ला पकड़ कर खींच सकता है ?

Shri Y. B. Chavan: I do not think we can appoint a committee on such an incident here.

The main point is that whether major recommendations of the Santhanam Committee are accepted and, particularly, those recommendations concerning this particular aspect also will be considered by the Government. Some of them are accepted in principle and some of them are even implemented. Always it is said that only the code of conduct of Ministers is accepted and nothing more is done. That is not correct. In the last three or four years, whenever specific allegations were made against high officers or even against those who held high office of Ministers and Chief Ministers, inquiry commissions were appointed. In the case of the Chief Minister of Punjab, as is very well-known he was a Congress Chief Minister; there was no question of any party bias in this matter—the Central Government did not hesitate to appoint a commission and face all the consequences of it. When allegations against Mr. Patnaik and his other colleague, Mr. Mitra, were made, the Government did go into all the processes which the honourable House knows. The Cabinet Sub-Committee went into all the aspects and they came to certain conclusions and, as is very well-known, in some cases it was held, on the grounds of propriety, that certain things were done which were not consistent with the sense of propriety and both of them were asked to resign.

In the case of Mr. Nijalingappa also—the hon. Member was very much excited about certain allegations made against him—those allegations were gone into. On that day, I had not got that information with me. I went into the whole thing and I found that a Cabinet Sub-Committee went into the whole thing and the Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, made a statement on 22nd February, 1965 on the floor of the House. The conclusion of the Government in the matter was:

> "On a consideration of the allegations made against the Chief Minister and some of the Ministers of Mysore and the available material and comments, the Committee came to the conclusion that there was no ground for the Central Government to take any further action."

The point is, sometimes, I should say, very often, allegations are made out of political considerations without any grounds to substantiate them.

Shri Ranga: Question.

Shri K. Lakkappa: Is the hon. Minister aware . . . (*Interruption*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Please resume your seat.

Shri Y. B. Chavan: I am not conceding.

Mr. Deputy-Speaker: Please resume your seat; I will not allow it.

The point is that, whenever a specific allegation was made and when there was evidence to substantiate it, it was gone into and when it

[Mr. Deputy-Speaker]

was found that a commission was necessary, a commission was appointed to go into it. When it was found that there was no substantiating ground for it, certainly Government took up a different position on the floor of the House saying that it was not necessary to go into the allegation.

The major point that Mr. George Fernandes made was whether there was going to be an institutional arrangement for this type of allegations.

श्री जार्ज फरनेंडीज : जो आचार संहिता बनी है उस में आपने प्रधान मंत्री को और मुख्य मंत्रियों को अधिकार दिया है । आप खुद कबूल कर रहे हैं कि मुख्य मंत्री भी ऐसे रहे हैं जिन के बारे में जांच करनी पड़ी है, उन को हटाना पड़ा है और बुरी तरह हटाना पड़ा है । ऐसे लोगों के हाथ में आप यह आचार संहिता देते हैं तो जो मंत्री हैं उनका क्या होगा और स्वयं मुख्य मंत्री का क्या होगा । यह भी एक अंश है, मेरे सवाल का ।

Shri Y. B. Chavan: Even according to the code of conduct, as far as the Chief Ministers are concerned, it is not the Chief Minister himself who is supposed to look into it; it is the Prime Minister and the Home Minister who are supposed to look into it according to the code of conduct. But the Chief Minister is certainly responsible for the inquiry about the allegations against the Ministers in his Cabinet and this is what it should be. If he is satisfied that there are certain allegations which need to be inquired into by the appointment of a commission, that certainly can be done; there is no doubt about it. (*Interruptions*). I know. I also concede. (*Interruptions*) As far as the thinking is concerned, I quite concede one point that this should not be the final position in this matter; I quite concede; I am not taking any doctrinnaire attitude in this matter. It is necessary that we will have to think in terms of certain institutional arrangement in this matter. The Administrative Reforms Commission has put forward a specific proposal; an institutional arrangement has been recommended, the arrangement of Lokpal and Lokayukt. Personally, as far as I know, the thinking in Government of India about it is that they are favourably inclined to consider this recommendation and in order to discuss this matter with the Chief Ministers—because this institutional arrangement is certainly not meant only for the Centre but it is also meant for the States—it was placed before the Chief Ministers of all the States when they attended the Chief Ministers' Conference here. I myself explained the scheme. Some Chief Ministers reacted favourably to it; some of them certainly said that it was necessary to examine it further . . . . .

Shri Ranga: You need not depend on their mercy.

Shri Y. B. Chavan: If at all we have to do, it is much better that we consult them also in the matter. I am sure that they will send their reactions soon because many of them said that it was a good scheme but they could give their final views after studying it properly. Naturally we will have to wait for a few weeks more for their recommendations. Whatever the recommendations, ultimately—I agree with Mr. Ranga—the Government of India will have to make up its own mind for itself, if not for others. I quite agree with him. The Government of India certainly will have to do that. That is the position that the Government of India have taken in this matter.

The other suggestion made by Dr. Lohia was this: he asked why there should not be a sort of permanent commission inquiring into all these things. I have answered this question that it is difficult to accept that position, not because it is inconvenient, but the presumption in Dr. Lohia's suggestion is that everybody is bad,

everybody is wrong, let it be inquired into.

डा० राम मनोहर लोहिया : काबीना का हर एक आदमी। बाली पंद्रह आदमियों के बारे में।

Shri Y. B. Chavan: Therefore, I have come to this. I have explained our attitude that there should be some institutional arrangement in this matter. I quite agree that it should not be left to the individual discretion of anybody. When we are thinking in terms of certain arrangement, it is much better that we think in terms of an institution. Therefore, the institution of Lokpal and Lokayukt is a very good suggestion which the Administrative Reforms Commission has sent to us and I think we will have to give a very careful consideration with a view to accepting it. This is my personal reaction.

डा० राम मनोहर लोहिया : स्थायी आयोग बना देते तो बड़ा मामला ठीक हो जाता और कई चीजों से बच जाते।

Shri S. M. Banerjee: What about my question?

Shri Y. B. Chavan: About the question raised by Mr. Banerjee, he was absent in the morning and possibly yesterday also. The Prime Minister herself has explained everything about it. I do not want to say anything because I am not....

Shri S. M. Banerjee: My question was a specific one, *i.e.* whether it is a fact that Mr. Arjun Arora was asked by the Prime Minister to specify the charges which he very legitimately did. After that, these three wise men were appointed to investigate into the whole affair....

Shri Y. B. Chavan: I am one of them.

Shri S. M. Banerjee: But these Ministers never gave a chance or hearing to Shri Arjun Arora, and the decision was given by the Prime Minister . . . . .

Shri Y. B. Chavan: There was no question of any hearing. . .

Shri S M. Banerjee: I would like to know whether he was given a chance or a hearing. Otherwise, what sort of inquiry was it? My information is that there was no inquiry.

Shri Y. B. Chavan: I do not think that that is right. I can only say that the hon. Member is very much mistaken about it. This is not the occasion when I am supposed to answer that question.

Shri S. M. Banerjee: What about 45 Members?

Shri Y. B. Chavan: I have answered that question already.

The other point that was made by my hon. friend Shri Randhir Singh was that there should be a ceiling on dishonest money. I do not think that there is any question of ceiling; there should be no dishonest income at all; therefore, there is no question of any ceiling on dishoest income.

If at all it is a question of a general ceiling on the income of every individual, personally I accept it in principle, but my personally accepting it is not going to help anybody; the constitutional positions etc. will have to be gone into in regard to this matter. I have nothing more to add.

18.17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 22, 1967/*Asadha* 1, 1889 (*Saka*).

GMGIPND—LS III—880 (Ai) LS—24-10-67—1050